महत्वपूर्ण एवं खास

जिला स्तरीय गोधन न्याय योजना का उच्च शिक्षामंत्री उमेश पटेल करेंगे शुभारंभ

रायगढ़
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हरेली पर्व के अवसर पर 20 जुलाई को गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। रायगढ़ जिले के 114 गौठानों में गोधन न्याय योजना' का शुभारंभ होगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम विकासखण्ड खरसिया के ग्राम पंचायत तेन्दुमुड़ी में आयोजित होगा। जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल सुबह 10.30 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी होगा। विकासखण्ड स्तरीय गोधन न्याय योजना का आयोजन बरमकेला विकासखण्ड में कान्दुरपाली गौठान, सारंगढ़-गन्तुली बड़े गौठान, पुसौर-छिछोर उमरिया गौठान, रायगढ़-कोसमनारा गौठान, धरमजयगढ़ के एडुकेला गौठान, लैलूंगा के बनेकेला (केराबहार)गौठान, घरघोड़ा-बैलगुड़ा गौठान एवं तमनार के तमनार गौठान में होगा। इस मौके पर सभी गौठानों पर वृहद वृक्षारोपण भी आयोजित किये गये है।

श्रम मंत्री डॉ. डहरिया गायत्री परिवार के तरू पुत्र-तरू मित्र वृक्षारोपण अभियान में हुए शामिल

रायपुर (आरएनएस)। नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आज यहां लालपुर के कुष्ट हास्पिटल परिसर में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गायत्री परिवार द्वारा आयोजित तरू पुत्र-तरू मित्र वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए। उन्होंने लोगों को पर्यावरण के संवर्धन के लिए लोगों को वक्षारोपण करने की अपील की। इस अवसर पर राजश्री सदभावना समिति के अध्यक्ष श्रीमती शकुन डहरिया विशेष रूप से उपस्थित थी।

पीएचई मंत्री गुरू रूद्रकुमार का दौरा कार्यक्रम

रायपुर(आरएनएस)। लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रूद्रकुमार प्रभार वाले जिले कांकेर के चारामा विकास खंड के ग्राम खैरखेड़ा में 20 जुलाई सोमवार को गोधन न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे। मंत्री गुरू रूद्रकुमार आज 20 जुलाई को पूर्वान्ह 11 बजे रायपुर से कार से रवाना होकर दोपहर एक बजे कांकेर जिले के चारामा रेस्ट हाउस पहुंचेंगे। मंत्री गुरू रूद्रकुमार 1.20 बजे ग्राम खैरखेड़ा के गौठान में छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना का शुभारंभ एवं हरेली तिहार कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री गुरू रूद्रकुमार अपरान्ह 3 बजे चरामा से रायपुर के लिए रवाना होंगे।

रायपुर में 36 तो प्रदेश में मिले 159 कोरोना पॉजीटिव मरीज

रायपुर(आरएनएस)। रविवार को प्रदेश मे कुल 159 नये कोरोना संक्रमित मिले है इनमें सबसे ज्यादा रायपुर में 36 नये कोरोना संक्रमित मिलने की पुष्टि हुई है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही कोरोना के मरीजों की संख्या के बीच रविवार देर शाम तक डेढ़ सौ से अधिक नये मरीज मिलने की खबर है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार रात साढ़े आठ बजे तक 159 मरीज मिले है। इनमें रायपुर में सर्वाधिक 36 मरीज मिले हैं। वहीं सरगुजा में 28,बस्तर में 25,कोरबा में 14,दुर्ग से 08,बलौदाबाजार व कांकेर से 07-07,बेमेतरा से 06,दंतेवाड़ा से 05,कोंडागांव,नारायणपुर,बिलासपुर व जांजगीर चांपा से 04-04,राजनांदगांव से 03,कोरिया से 02,गरियाबंद,रायगढ़,मुंगेली व बलरामपुर से 01-01 मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। इस प्रकार प्रदेश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 5407 हो गई है जिनमें से 3775 मरीज उपचार के बाद ठीक होकर घर लौट चुके है वहीं अब 1608 सक्रीय मरीजों का प्रदेश के विभिन्न कोविड अस्पतालों में उपचार चल रहा है। इस दौरान प्रदेश में 24 लोगों की उपचार के दौरान मौत भी हो चुकी है।

छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व से गोधन न्याय योजना का होगा आगाज

रायपुर(आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के पारम्परिक हरेली पर्व से प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ होगा। इस योजना के शुभारंभ की तैयारियां पूरी कर ली गई है। हरेली के दिन 20 जुलाई को राज्य के सभी जिलों के गौठानों में कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्रीगण, संसदीय सचिव, विधायकगण एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होकर इस योजना का विधिवत शुरूआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 जुलाई को प्रातः 10 बजे मुख्यमंत्री निवास में हरेली पूजा के साथ गोधन न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे।

अधिकारियों को दिए विभिन्न एहतियाती निर्देश

कलेक्टर भीम सिंह ने जिले में कोरोना संक्रमण स्थिति की समीक्षा कर ली मरीजों की जानकारियां

न्याय साक्षी/रायगढ़।
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आधार पर जिले में कोरोना की स्थिति को लेकर कलेक्टर भीम सिंह ने आज जिला स्तरीय अधिकारियों तथा जिले के साथ समस्त एसडीएम, एसडीओपी, सीएमओ और जनपद सीईओ की समीक्षा बैठक विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से ली। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह तथा सीईओ जिला पंचायत ऋचा प्रकाश चौधरी भी बैठक में सम्मिलित हुए।

कलेक्टर सिंह ने विकासखण्डवार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से अब तक मिले और एक्टिव कोरोना केसेस की जानकारी ली। उन्होंने सीएमएचओ तथा कोविड टेस्टिंग प्रभारी राकेश से वर्तमान में चल रहे टेस्टिंग की जानकारी ली। जिसमें बताया गया कि वर्तमान में

1200 के करीब टेस्ट प्रतिदिन किये जा रहे है जिनमें रायगढ़ जिले में 300 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे है इसके साथ 6 और जिले के टेस्ट यहां से किये जा रहे है। कलेक्टर सिंह ने रायगढ़ जिले के टेस्टिंग की संख्या 400 तक बढ़ाने के निर्देश दिये। साथ ही लैब टेक्नीशियन और लैब अटेण्डेट की कमी को दूरे करने उनकी शीघ्र भर्ती करने के लिए कहा।

कलेक्टर सिंह ने नगर निगम आयुक्त से कहा कि होम क्वारेन्टीन में रहने वाले लोगों की एप के माध्यम से तो निगरानी हो रही है, निगम कर्मी के माध्यम से भी उसके घर जाकर प्रतिदिन देखा जाये कि वह क्वारेंटीन नियमों का पालन कर रहा है या नहीं और जो उल्लंघन कर रहे है उन पर

एफआईआर दर्ज किये जाए। इसके अतिरिक्त मॉस्क लगाने, सोशल डिस्टेसिंग और दुकानों के संचालन के समय का भी उल्लंघन लोगों के द्वारा किया जा रहा है तो उन पर नियमानुसार अर्थदण्ड तथा अन्य कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने समस्त एसडीएम व ईईपीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया कि कंटेनमेंट जोन में बेरिकेटिंग का कार्य समय से पूर्ण कर लिया जावे। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में अत्यावश्यक वस्तुओं की डिलीवरी भी निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से कहा कि अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट पर सतत् निगरानी रखी जाये। गांवों में भी लोगों को जागरूक किया जाये कि जो भी व्यक्ति अन्य प्रदेश से आता है तो उसे क्वारेंटीन किया जाये और यदि कोई व्यक्ति जानकारी छुपाता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाये। बैठक में उपस्थित मेडिकल कालेज के अधिकारियों से चिकित्सा व संसाधन के विषय में जानकारी लेते हुये कलेक्टर सिंह ने कोरोना संक्रमितों के प्रभावी इलाज के लिए सुविधाओं को और बेहतर करने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहने के निर्देश दिये। इस दौरान अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी, एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा, सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी, नगर निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय, जिला अस्पताल अधीक्षक डॉ.मिंज, कोरोना नोडल डॉ.वेद गिल्ले, माइक्रो बॉयोलाजिस्ट डॉ.राकेश कुमार, सभी एसडीएम, एसडीओपी, सीएमओ सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में अनुमति प्राप्त गतिविधियों के संचालन में हुआ संशोधन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

न्यायसाक्षी / रायगढ़ ।
छ.ग.शासन द्वारा कोरोना वायरस के बचाव के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में कलेक्टर श्री भीम सिंह ने रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन प्रातः 10ः00 बजे से सायं 06ः00 बजे तक सप्ताह में दिन-बुधवार (29 जुलाई 2020 से) को छोड़कर एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर घोषित कंटेन्मेंट/बफर जोन को छोड़कर सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये (मॉस्क पहनने के निर्देश) किये जा सकने का आदेश जारी किया है।

परन्तु आगामी आदेश पर्यन्त निम्न गतिविधियॉ रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में प्रतिबंधित/अनुमति रहेगीः-

जिले में सार्वजनिक परिवहन यान यथा यात्री/सिटी बस की सेवाएं पूर्णतः चालू रहेगी। व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा तथा इस संबंध में ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर ही आवागमन हो सकेगा। व्यक्तियों के अन्तर्जिला परिवहन के बारे में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा। सब्जी का विक्रय सशर्त (समय प्रातः 06ः00 से प्रातः

10ः00 बजे तक प्रतिदिन) की ही अनुमति होगी, किन्तु झुण्ड में नहीं रहेंगे। मिल्क पार्लर/दूध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सशर्त-प्रातः 06ः00 बजे से सुबह 10ः00 बजे तक चालू रहेगी। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर को प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक की ही अनुमति होगी। सभी बार, रिसार्ट, डिस्कोथेक बंद रहेंगी। व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय परिवहन, छुट-चिकित्सकीय कारण से/गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गतिविधियॉ। सभी विद्यालय, सभी महाविद्यालय, शैक्षणिक/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे परन्तु ऑनलाईन /डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी। समस्त स्पोर्टस काम्प्लेक्स एवं स्टेडियम एवं खेल परिसर में समुह में बैठकर या खड़े होकर चर्चा करना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक पार्क में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। क्लब एवं बार का संचालन बंद रहेगा। सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, थियेटर, तथा ऑडिटोरियम, सभागृह और इस प्रकार के स्थान, मेला के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। सभी सामाजिक / राजनैतिक /खेलकूद /मनोरंजन /शैक्षणिक /सांस्कृतिक /धार्मिक गतिविधियॉ एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। यथासंभव माल वाहनों से माल की लोडिंग/अनलोडिंग भीड़-भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर न किया जाये। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाए जब वहां पर भीड़-भाड़ न हो। शहरी/नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का संचालन मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ से सत्यापन/अनुमति उपरांत भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश का पालन करते हुए प्रारंभ की जा सकती है।

व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय

दफ्तरों और कार्यालयों में (निजी एवं शासकीय) कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवायें। 04 से अधिक व्यक्ति ज्ञापन सौंपने हेतु न आयें। जगह-जगह झुण्ड बनाकर एकत्रित न हों, सामुहिक रूप से चौंक चौराहों पर इकट्ठा होकर बातचीत करना प्रतिबंधित रहेगा। होटल/रेस्टोरेंट में सामुहिक रूप से भोज का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। पेट्रोल पंप एवं रसोई गैस सेवायें संचालित रहेंगी। मण्डी पूर्व समयानुसार संचालित रहेंगी। दवाई दुकानें प्रातः 10ः00 से रात्रि 08ः00 बजे तक संचालित रहेंगी।

कोरोना से बचाव के दिशा-निर्देशों की अवहेलना पर अर्थदण्ड लगाने अधिकारी-कर्मचारी को किया गया अधिकृत

कलेक्टर श्री भीम सिंह ने जारी किया आदेश

न्यायसाक्षी / रायगढ़ ।

कलेक्टर भीम सिंह ने कोविड-19 के प्रसार के रोकथाम हेतु फेस मास्क, होमक्वारेंटिन, सार्वजनिक स्थल पर थुकने, सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में दण्ड अधिरोपण के लिए जिले में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिकृत किया है।

राजस्व विभाग से सर्व नायब तहसीलदार एवं उच्च अधिकारी, पुलिस विभाग से सहायक उप निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी, नगरीय प्रशासन विभाग से राजस्व निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी, खाद्य विभाग से खाद्य निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी, कृषि उपज मण्डी बोर्ड से मण्डी इंस्पेक्टर एवं उच्च अधिकारी एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से पंचायत सचिव एवं उच्च अधिकारी शामिल है।

इन स्थितियों में लगेगा जुर्माना

सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपये

सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाये जाने की स्थिति में 100 रुपये

दुकानों व व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 200 रुपये जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा।

जुर्मीना अदा न करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध महामारी रोग अधिनियम, 1897 (1897 का 3) के अधीन निर्मित विनियम, 2020 के विनियम 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45)की धारा 188 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही किया जाएगा। होम क्वारेंटीन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 01 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा तथा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज किया जाएगा।

क्वारेंटीन नियमों का उल्लंघन करने पर दो लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

न्यायसाक्षी / रायगढ़ ।
कलेक्टर भीम सिंह के निर्देश पर रायगढ़ शहर के मालधक्का स्थित होटल शिवम के संचालक अभिषेक अग्रवाल पर शासन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन तथा अनाधिकृत रूप से पेड क्वारेंटीन में लोगों के रखने तथा उसी होटल में पेड क्वारेंटीन में रह रहे पुरी, उड़ीसा निवासी सूरज विश्वाल पर क्वारेंटीन नियमों की अवहेलना करते पाये जाने पर भादवि की धारा 188, 269 व 270 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

क्वारेंटीन का उल्लंघन करने वालों को समझाईश देने पहुंचे कलेक्टर भीम सिंह

दो लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने के दिए निर्देश

न्यायसाक्षी / रायगढ़ ।
कलेक्टर भीम सिंह की पहल पर जिले में क्वारेंटीन में रह रहे लोगों की हाइटेक तरीके से एप के द्वारा सर्विलांस किया जा रहा है। किन्तु कुछ लोगों के द्वारा क्वारेंटीन नियमों की अनदेखी करते हुये बाहर घूमने की जानकारी एप के मॉनिटरिंग सिस्टम में दर्ज होने कलेक्टर सिंह ऐसे लोगों को खुद समझाईश देने पहुंचे। इस दौरान जहां अत्यंत लापरवाही दिखी वहां कानूनी कार्यवाही के निर्देश भी उन्होंने दिये।

शहर में रेलवे स्टेशन के समीप स्थित होटल शिवम में पेड क्वारेंटीन में रहे पुरी उड़ीसा निवासी सूरज विश्वाल के क्वारेंटीन सेंटर से बाहर निकलने की सूचना एप में दर्ज हुई थी। कलेक्टर सिंह ने वहां पहुंचकर जानकारी ली तो पाया गया कि होटल शिवम को पेड क्वारेंटीन

सेंटर बनाने हेतु प्रशासन द्वारा अधिकृत ही नहीं किया गया था, फिर भी वहां अवैध रूप से लोग पेड क्वारेंटीन में रह रहे थे। अतः कलेक्टर सिंह ने होटल संचालक अभिषेक अग्रवाल तथा क्वारेंटीनरत सूरज विश्वाल पर मामला दर्ज करने के निर्देश एसडीएम रायगढ़ को दिये।

इसी प्रकार ढिमरापुर स्थित दीनदयाल पुरम में रंजीत वर्मा को उसके घर पहुंचकर कलेक्टर सिंह ने समझाईश दी कि सभी की सुरक्षा के लिये क्वारेंटीन नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है, इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर सिंह जूटमिल इलाके में हाकिम अंसारी के घर भी पहुंचे जिसके आज सुबह क्वारेंटीन स्थान से बाहर निकलकर जाने की सूचना मिली थी। उसे भी समझाईश दी गयी कि क्वारेंटीन अवधि तक घर से बाहर न जाये अन्यथा उसके ऊपर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्टर सिंह निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि क्वारेंटीन दिए गए लोगों पर निगम कर्मियों के माध्यम से भी निगरानी बनाये रखे। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण की चेन रोकने के लिये क्वारेंटीन किए गए लोगों के ऊपर सतत् निगरानी के लिये मोबाइल सर्विलांस किया जा रहा है जिसका उल्लंघन करने पर विगत दिनों दो लोगों पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। इस दौरान नगर निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय, उपायुक्त पंकज मित्तल सहित नगर निगम कर्मचारी मौजूद रहे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480